

“विजयनगर पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति, क्रमांक ज्ञा. 2-22-छत्तीसगढ़ नगर/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन इनामिक: “छत्तीसगढ़/टी.सी.ल. 114-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 331

रायपुर, राजधानी, दिनांक 14 अगस्त 2009—क्रमण 23, शक्ति 1931

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिमूलकाएँ, (4) राज्य शासन के संकाय, (5) भारत शासन के आदेश और अधिमूलकाएँ, (6) नियोजन की आयोग, भारत के अधिमूलकाएँ, (7) लोक भाषा परिभ्रष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएँ।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएँ, (2) सांस्कृतिकों सूचनाएँ।

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधायक, (2) प्रधार मणिक क प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरास्थानिक विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) जारी नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
भौतिकालीन, दाउँ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2009

क्रमांक एफ 6-12/2009/1/एक, — राज्य शासन एलट्रूट्राय माननीय श्री प्रदीप कुमार देशपांडे, सदरम, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर को दिनांक 25-6-2009 से 2-7-2009 तक 08 दिन का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अंतिम अवकाश की कार्योंकार स्वीकृति प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा अधिकारी, विजय कुमार भिंह, अथवा मर्यादा

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाक कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2009

क्रमांक एक 7-9/2009/12.— खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का रा. 67) की धारा 23 (री) द्वारा प्रदल्त शवित्रयों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

आध्याय—एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ— (1) यह छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भवारण) नियम 2009 कहलायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
(3) ये 'राजपत्र' में अनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषा— (1) इन नियमों में, जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम 1957 का रा. 67);
(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार, इन नियमों के अंतर्गत करने के लिए सक्षमता दिये;
(ग) "जांच बौकी" से अभिप्रेत है, खनिज परिवहन कर रहे वाहनों में खनिज की मात्रा एवं अभिकान दस्तावेजों की कैला की जांच हेतु खनिज साधन विभाग द्वारा स्थापित जीव जांच बौकी;
(घ) "कलेक्टर" तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाला "अतिरिक्त कलेक्टर" का ग्रन्तीकार की अर्थ होगे, जो उन्हें छत्तीसगढ़ भू राजस्व संस्थिता, 1959 (1959 का रा. 20) में दिए गये हैं;
(ङ) "संचालक" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संचालक, भौमिकी तथा खनिकमं, छत्तीसगढ़;
(ज) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार का खनिज साधन विभाग;
(झ) "प्रारूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्रारूप;
(ज) "जांच बौकी प्रभारी" से अभिप्रेत है, सबप्रिंट जिले के कलेक्टर द्वारा जांच बौकी हेतु नियुक्त प्रभारी अधिकारी;
(झ) "पट्टा (लीज)" से अभिप्रेत है, खनिज एवं खनिजों के दौहन के प्रयोजन के लिए रखीकृत की गई भागनिंग लीट तथा क्वारी लीज;
- (ज) "खनिज" का यही अर्थ होगा, जैसा कि खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में समनुदेशित है;

(ट) "खनिज रियायत" से अभिप्रेत है, अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत प्रारंभिक सर्वेक्षण अनुज्ञापत्र (रिकोनेसन्स परमिट), पूर्वक्षण अनुज्ञाप्ति, मायनिंग लीज;

(ठ) "खनि अधिकारी" से अभिप्रेत है, जिला कार्यालय स्थित खनिज शाखा में पदस्थ भारसाधक उप संचालक (खनिज प्रशासन) / खनि अधिकारी / सहायक खनि अधिकारी;

(ड) "खान स्वामी" के अंतर्गत पट्टाधारी या पट्टाधारी द्वारा प्राधिकृत प्रबंधक या ऐसा कोई व्यक्ति आता है, जो उसकी ओर से काम करने के लिये लिखित में प्राधिकृत हो;

(ढ) "नियम" से अभिप्रेत है, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम 1957 का सं. 67) की ग्रा 23 (सी) के अंतर्गत बनाये गये नियम;

(ण) "वैज्ञानिक परीक्षण" से अभिप्रेत है, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म की प्रयोगशालाओं अथवा भारत सरकार के किसी आय प्रयोगशालाओं में खनिज के रासायनिक विश्लेषण की जॉच;

(त) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;

(थ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

(द) "भण्डारण" से अभिप्रेत है, खनिपट्टा क्षेत्र (लीज क्षेत्र) से खनिज निकालने के पश्चात् गंतव्य तक परिवहन के दौरान किसी अन्य स्थान पर खनिज का अस्थायी भण्डारण;

(घ) "भण्डारण अनुज्ञापत्र" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन ऐसी अनुज्ञापत्र जो संबंधित जिले के क्षेत्रीय अधिकारिता में कलेक्टर द्वारा किसी व्यक्ति/कंपनी को किसी भी खनिज के अस्थायी भण्डारण/बेनीफिकेशन/कशिंग हेतु जारी की गई हो;

(न) "अभिवहन पास" से अभिप्रेत है, खनिजों के विधिपूर्वक परिवहन करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया पास;

(प) "वाहन" से अभिप्रेत है, रेल्वे वैगन, आकाशीय रज्जु मार्ग (एरियल रोप-वे), कनवेयर बेल्ट को छोड़कर, ऐसा कोई भी साधन जिसके द्वारा किसी खनिज/खनिजों का या उसके उत्पादों का, उसके प्राप्त करने के स्थान से या एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन किया जाता है;

(फ) "तौल कांटा (वे ब्रिज)" से अभिप्रेत है, परिवहन किये जा रहे खनिजों की मात्रा मापने के लिए लगायी गयी तौल मशीन;

(ब) सभी अन्य शब्दों एवं अभिव्यक्तियों, जिनका प्रयोग किया गया है किन्तु जिन्हें पारिभाषित नहीं किया गया है उनका वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या उसके अधीन क्रमशः समनुदेशित है।

2. प्रतिषेध:- (1) कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन विधिमान्य अभिवहन पास के बिना किसी खनिज/अयस्क या/तथा उसके/उनके प्रसंस्करित उत्पाद को, उनके खनन/उत्खनन/भण्डारण /प्रसंस्करण स्थान से किसी दूसरे स्थान तक किसी वाहन द्वारा अथवा अन्यथा न तो परिवहन करेगा और न परिवहन कराएगा;

परन्तु उस दशा में कोई अभिवहन पास अपेक्षित नहीं होगा, जब किसी खनिज/खनिजों का या उसके प्रसंस्करित उत्पादों का खनिपट्टा क्षेत्र से रेल या आकाशीय रेजू मार्ग (एरियल रोपवे) या कनेक्टर बैल्ट के माध्यम से सीधा परिवहन किया जा रहा हो तथा परिवहन किये गये खनिज के साथ देयक/इनवायस, पट्टेधारी द्वारा प्रदाय किया गया हो, जिसमें प्रेषण (डिस्प्लेच) का दिनांक, समय, परिवहन किये जा रहे खनिज की मात्रा एवं विवरण, गंतव्य स्थान तथा उस पार्टी का नाम जिसे खनिज भेजा जा रहा है या अन्य कोई विधिसम्मत दस्तावेज जो परिवहन किये गये खनिज की वैधता सिद्ध करते हों, साथ में हों;

(2) कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन प्राप्त वैध "भण्डारण अनुज्ञापत्र" धारण किए बिना खनिज/खनिजों का खनिपट्टा क्षेत्र से बाहर या गंतव्य स्थान से अन्यत्र प्रसंस्करण या किसी अन्य प्रयोजन के लिए भण्डारण/बेनिफिकेशन/क्रशिंग हेतु संयंत्र की स्थापना नहीं करेगा।

अध्याय-दो

खनिज के परिवहन हेतु अभिवहन पास की व्यवस्था

3. खनिज तथा उनके प्रसंस्करित उत्पादों का परिवहन— (1) खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा उसके निर्मित नियमों के तहत स्वीकृत लीज क्षेत्र में समर्त खनिज तथा अयस्क का अभिवहन (रेल या आकाशीय रज्जू मार्ग (रोप-वे) या कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से सीधे किये गये अभिवहन को छोड़कर) इन नियमों में संलग्न प्ररूप-1 के अधीन जारी अभिवहन पास के साथ ही किया जावेगा। लीज क्षेत्र के बाहर, स्थापित रेल्वे साईंडिंग या प्रसंस्करित संयंत्र में खनिज या अयस्क का अभिवहन भी वैध अभिवहन पास के साथ ही किया जावेगा। परन्तु विशेष परिस्थितियों में संचालक, इस हेतु विशिष्ट कागरण का उल्लेख करते हुए, इस प्रतिबंध से छूट प्रदान कर सकेगा।

रेल या आकाशीय रज्जू मार्ग (रोप-वे) या कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से सीधे अभिवहन किये गये खनिज के साथ देयक/इनवायस, पट्टेधारी द्वारा प्रदाय किया जायेगा, जिसमें परिवहन का दिनांक, समय, परिवहन किये जा रहे खनिज की मात्रा एवं श्रेणी, गंतव्य स्थान तथा उस पार्टी का नाम जिसे खनिज भेजा जा रहा है या अन्य कोई विधि सम्मत दस्तावेज जो परिवहन किये गये खनिज की वैधता सिद्ध करते हों, साथ में रहेंगे।

(2) (एक) खनिज लीज धारक, लीज क्षेत्र से किसी खनिज या उसके प्रसंस्करित उत्पाद का अभिवहन करने के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर को प्ररूप-2 में आवेदन करेगा, तथा आवेदन पत्र के साथ तीन माह की अपनी अधिकतम आवश्यकता के अनुसार, निर्धारित लेखा शीर्ष में राशि जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत कर अभिवहन पास पुस्तिकार्य प्राप्त करेगा।

(दो) अभिवहन पास पुस्तिका की कीमत तथा उसके आधार पर परिवहन किये जाने वाले खनिज पर देय रायल्टी, उसी रीति में जमा की जाएगी जैसा कि नियमों में विहित की गई है।

(तीन) प्रत्येक पास (लीज), अनुज्ञप्तिधारी (परमिट होल्डर), लीज स्थल/अस्थाई भण्डारण स्थल से खनिज का परिवहन कर रहे वाहन चालक को अभिवहन पास की मूल प्रति के नीचे कार्बन लगाकर लिखी गई द्वितीय प्रति जारी करेगा तथा मूल प्रति पुस्तिका में अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेगा।

(चार) अभिवहन पास मुद्रित कराये जाने एवं जारी किये जाने की प्रक्रिया संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(3) खनिज तथा उसके प्रसंस्करित उत्पाद का परिवहन कर रहे वाहन को रोकने तथा निरीक्षण करने तथा अधिनियम व नियमों के तहत कार्यवाही करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी प्राधिकृत विए गए हैं—

अनुसूची

संक्र.	अधिकारी	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
(एक)	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म	सम्पूर्ण राज्य
(दो)	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म में पदस्थ अपर संचालक / संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन)	सम्पूर्ण राज्य
(तीन)	कालेक्टर/अपर*कालेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	क्रमशः उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता में
(चार)	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के केन्द्रीय उड़नदस्ती के अधिकारी	सम्पूर्ण राज्य
(पांच)	जिले में पदस्थ उप संचालक (खनिज प्रशासन)/ खनि अधिकारी/जिले का प्रभारी सहायक खनि अधिकारी	जिले के भीतर
(छः)	सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक	उनके अधिकारिता क्षेत्र के भीतर
(सात)	जैश चौकियों के प्रभारी	संबंधित जैश चौकी पर
(आठ)	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म का कोई अधिकारी	संचालक द्वारा लिखित आदेश में विशेष क्षेत्र हेतु विशेष तौर पर प्राधिकृत किया गया हो

(4) (एक) खनिज परिवहन कर रहे वाहन के वाहन स्वामी या वाहन चालक इन अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मामे जाने पर खनिज अभिवहन पास एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(दो) खनिज परिवहन किये जा रहे वाहन को परिवहन के दौरान किसी भी स्थान पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रोके जाने पर वाहन चालक उसके पास उपलब्ध खनिज परिवहन से संबंधित समस्त अभिलेखों तथा दस्तावेजों को निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेगा तथा निरीक्षण में अपेक्षित सहयोग करेगा।

4. शास्ति.— जब कभी कोई वाहन किन्हीं खनिजों को दिना किसी विधिमान्य अभिवहन पास के परिवहन करता पाया जाता है तो वह खान एवं खनिज (विकास एवं विचियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के अधीन अपराध माना जायेगा तथा वाहन चालक एवं वाहन स्वामी उक्त अधिनियम एवं नियमों के शास्ति खण्ड के अधीन सजा का भागी होगा।

अध्याय—तीन

जांच चौकी की स्थापना तथा परिवहन किये जा रहे खनिजों के निरीक्षण की व्यवस्था

5. जांच चौकी की स्थापना तथा परिवहन किये जा रहे खनिजों का निरीक्षण— (1) वैध अभिवहन पास के बिना खनिज सथा उसके प्रसंस्करित उत्पादों का परिवहन तथा भंडारण रोकने की दृष्टि से परिवहन किये जा रहे खनिजों/अयस्क तथा उसके प्रसंस्करित उत्पादों की श्रेणी, मात्रा आदि एवं अभिवहन पास की वैधता की जांच हेतु संचालक, राज्य के भीतर किसी भी स्थान पर जांच चौकी, तौल कांटा के साथ या उसके बिना स्थापित की जा सकेगी।

(2) संचालक हारा समय—समय पर निर्देशित किए अनुसार, जांच चौकी पर जांच पंजियाँ एवं अन्य अभिलेख संधारित किए जायेंगे।

(3) खनिज का परिवहन कर रहे वाहन का वाहन चालक जांच चौकी पर वाहन को रोकेगा तथा उसके पास उपलब्ध समस्त सुसंगत दस्तावेज तथा पेपर को निरीक्षण हेतु रखेगा तथा निरीक्षण में अपेक्षित सहयोग करेगा।

(4) जांच चौकी पर स्थापित तौल कांटे या अधिकृत अन्य तौल कांटे पर अभिवहन पास में दर्ज खनिज की मात्रा की जांच करायेंगे।

(5) पट्टाधारी (लीजधारी) या अनुद्दिप्तधारी (परमिटधारी) या खनिज परिवहन कर्ता, खनिज परिवहन कर रहे वाहन की विभागीय अथवा निजी तौल कांटे पर तौल कराये जाने पर उसके लिए निर्धारित शुल्क का मुग्यान करेगा। शासकीय तौल कांटे पर तौल हेतु मुग्यान की रसीद जारी की जायेगी।

(6) जहाँ जांच चौकी के नजदीक कोई तौल कांटा स्थापित नहीं है परिवहन किये जा रहे खनिज की मात्रा के आंकलन के लिए खनिज को घनमीटर में भार किया जायेगा तथा उसे निर्धारित फॉमूले के अनुसार टन में परिवर्तित कर माप की जायेगी।

(7) जांच चौकी के प्रभारी, अभिवहन पास खनिज की मात्रा एवं श्रेणी आदि की जांच करने के उपरान्त जांच पंजी प्ररूप-3 के अनुलम इन्द्राज कर अभिवहन पास पर इस बाबत निम्मानुसार निर्धारित नमूने याली सील लगायेंगे तथा हस्ताक्षर करेंगे—

प्ररूप

जांच चौकी का नाम	जिला
जांच का दिनांक	समय
जांच पंजी में की गई प्रविष्टि का स. क्र.	
पृष्ठ क्र.	जांचकर्ता के हस्ताक्षर

(8) यदि जांच चौकी के प्रभारी या जांच हेतु प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि खनिज का इस प्रकार परिवहन, वाहन में उपलब्ध अभिवहन पास में दिये गये विवरण अनुसार नहीं है, या बिना वैध अभिवहन पास के परिवहन किया जा रहा है या अभिवहन पास में उल्लिखित गंतव्य से अन्यत्र परिवहन किया जा रहा है, तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच करने के उपरान्त जो वह आवश्यक समझे, खनिज परिवहन कर रहे वाहन, परिवहन किये जा रहे खनिज, यंत्र, औजार या वस्तुएं जो खनिज के परिवहन के उपयोग में लायी गयी है, को जप्त करेगा। जप्त शुद्ध खनिज, वाहन, औजार, यंत्र या अन्य वस्तुओं को अधिनियम एवं नियमों के प्रावधान के अनुसार निराकृत किया जायेगा।

अध्याय—चार

खनिजों के अस्थायी भण्डारण/वेनीफिकेशन/क्रसिंग हेतु अनुज्ञापत्र जारी करना तथा उसका नवीनीकरण

6. खनिजों के अस्थायी भण्डारण/वेनीफिकेशन/क्रसिंग हेतु अनुज्ञापत्र जारी तथा उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन— (1) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की अनुसूची-1 के खंड (अ) तथा (स) के खनिजों तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 की अनुसूची-एक तथा अनुसूची-दो के खनिजों का लीज क्षेत्र से बाहर अस्थायी भण्डारण/वेनीफिकेशन/क्रसिंग के लिए अस्थायी तौर पर एकत्रिकरण किया जाना हो तो ऐसे अस्थायी भण्डारण/वेनीफिकेशन संयंत्र/क्रशर संयंत्र की स्थापना हेतु अनुज्ञा संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा प्ररूप-7 में विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(2) अस्थायी भण्डारण/वेनीफिकेशन/क्रसिंग हेतु अनुज्ञापत्र प्राप्त करने या उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन संबंधित जिले के कलेक्टर को इस हेतु निर्धारित (यापसी योग्य नहीं) निर्धारित आगम प्राप्ति लेखा शीर्ष में चालान द्वारा जमाकर चालान की प्रति सहित प्ररूप-4 में किया जाएगा।

(3) आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क निम्न विवरण अनुसार जमा किया जावेगा—

(एक) भण्डारण क्षमता एक समय में 250 टन तक के लिए भण्डारण शुल्क रूपये 20,000/-

(दो) प्रत्येक 100 टन या उसके भाग के लिए अतिरिक्त भण्डारण शुल्क रूपये 2000/-

(4) आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न किये जायेंगे—

(एक) अस्थायी भण्डारण/वेनीफिकेशन संयंत्र/क्रशर संयंत्र के रूप में उपयोग वाले के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण तथा नवशो की प्रमाणित प्रति सहित, भूमि स्थानी का सहमति पत्र;

(दो) यदि अस्थायी भण्डारण/वेनीफिकेशन संयंत्र/क्रशर संयंत्र स्थापना राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे होना प्रस्तावित हो, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंधित अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र;

(तीन) वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के न्द्रीय अधिनियम 1987 का स. 14) के अधीन यदि आवश्यक हो, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र;

(चार) यदि आवेदक पट्टाघारी (लीजघारी) है तो संबंधित जिले के भार साधक खनि अधिकारी से जारी किया गया खनिज राजस्व बकाया न होने का प्रमाण—पत्र;

(पांच) अन्य किसी अधिनियम के अधीन आवश्यक अनुज्ञा जो भी मार्गी जाए भी नियमानुसार प्राप्त कर प्रस्तुत की जावेगी।

7. भण्डारण अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी— संबंधित जिले के खनि अधिकारी, आवेदन प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे। आवेदन प्राप्त होने पर उस तारीख तथा समय की प्रविष्टि की जावेगी।

8. भण्डारण अनुज्ञापत्र के लिये आवेदन का रजिस्टर- संबंधित जिले के खनि अधिकारी, प्ररूप-5 में एक रजिस्टर संधारित करेगा तथा उसमें आवेदन की आवश्यक प्रविष्टि करेगा एवं रसीद प्ररूप-6 में दी जावेगी।

9. भण्डारण अनुज्ञापत्र या उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन का निष्टारा:- (1) सकाम प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह उचित समझे, भण्डारण अनुज्ञापत्र प्रदान कर सकेगा या नवीनीकरण कर सकेगा और ऐसी अनुज्ञापत्र प्ररूप-7 में जारी करेगा या अनुज्ञापत्र प्रदान करने अथवा उसका नवीनीकरण करने से इकार कर सकेगा।

परन्तु सकाम प्राधिकारी, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये दिना तथा इकार किये जाने के कारणों को लेख बद्द करने सथा इकार करने के कारणों को आवेदक को लिखित में संधारित किये दिना आवेदित संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए अनुज्ञापत्र प्रदान करने या नवीनीकरण करने से इकार नहीं करेगा।

परन्तु यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ उचित दस्तावेज़/शुल्क जमा की रखी दी चालान संलग्न प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसा आवेदन सीधे निरस्त किया जायेगा इसके लिये आवेदक को किसी प्रकार की सूचना दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(2) यदि अस्थायी अनुज्ञापिकारी, भण्डारण आगे जारी रखने का इच्छुक हो, तो वह अनुज्ञापित के अवसान होने से 90 दिवस मूर्त प्ररूप-4 में नियम 6 के उपनियम (3) के अनुसार निर्धारित शुल्क तथा नियम 6 के उपनियम (4) के अनुसार समस्त सुसंगत दस्तावेज़ जो मूल आवेदन के समय प्रस्तुत किया गया था, को प्रस्तुत करेगा। यदि ऐसे नवीनीकरण हेतु आवेदक को निर्धारित समयावधि के भीतर निराकृत नहीं किया जाता है तो सकाम प्राधिकारी, उस हेतु आदेश पारित किये जाने सक अनुज्ञापित की कालावधि ऐसी और कालावधि के लिए बढ़ाई गई समझी जावेगी, जिसके लिये अनुज्ञापित प्रदान की गई थी।

(3) सकाम प्राधिकारी, स्वयियेकानुसार, ऐसे व्यवित को अनुज्ञापत्र प्रदान करने या उसका नवीनीकरण करने से इकार कर सकेगा, जो अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है।

10. प्रतिमूर्ति निष्ठोप:- कोई आवेदक, अनुज्ञापत्र के निर्देशनों तथा शर्तों का सम्बन्ध पालन करने के लिए प्रतिमूर्ति के रूप में एक बार में 250 टन सक भण्डारण अनुज्ञापत्र हेतु रुपये 50,000/- तथा अधिक भण्डारण मात्रा हेतु रुपये 1,00,000/- की राशि, सकाम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्र प्रदान करने या उसका नवीनीकरण करने की संसूचना की तारीख से सात दिवस के भीतर उसी रीति में जमा करेगा, जैसू कि नियम 7 के उपनियम (2) में विहित किया गया है। जमा राशि पर किसी प्रकार बत ब्याज देय नहीं होगा।

11. अधिकतम कालावधि जिसके लिए अनुज्ञापत्र (परमिट) प्रदान की जा सकेगी या उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा:- वह अधिकतम कालावधि जिसके लिए अनुज्ञापत्र प्रदान की जा सकेगी, तोते वर्ष से अधिक नहीं होगी।

12. धारक की मृत्यु हो जाने पर प्रदान की गई अनुज्ञापत्र की प्राप्तिः— जहाँ अनुज्ञापिधारी की मृत्यु हो जाने पर शुल्क रु. 1,000/- के चालान द्वारा निर्धारित शीर्ष में जमाकर आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् धारक के वारिसों को हस्तांतरणीय होगी।

13. अनुज्ञापत्र (परमिट) की शर्तेः— इन नियमों के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञापिधारी की अतिरिक्त, जो उसने विनिर्दिष्ट की जाए, निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुए होगी, अर्थात्—
 (एक) अनुज्ञापिधारी (परमिट हॉल्डर), स्वीकृत दिनांक से प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के लिए वार्षिक शुल्क रूपये 10,000/- उसी रीति से जमा करेगा जैसा कि नियम 7 के उपनियम (2) में विहित किया गया है।
 (दो) अनुज्ञापिधारी, प्रकल्प-8 में भण्डारण तथा प्रसंस्करण हेतु प्रकल्प-9 (क) (1), (2), (3), प्रकल्प-9 (ख) (1), (2) या प्रकल्प-9 (ग) यथास्थिति, अस्थाई भण्डारण/प्रसंस्करण इकाई में प्राप्त और अन्यत्र भेजे गए खनिज/अयस्क और/या उसके उत्पादों की मात्रा तथा अन्य विशिष्टियाँ दर्शाते हुए ताहीं एवं विश्वसनीय लेखा रखेगा तथा जांच के लिये भागे जाने पर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
 (तीन) अनुज्ञापिधारी, अस्थाई भण्डारण/प्रसंस्करण स्थल से किसी खनिज/अयस्क या उसके उत्पाद का परिवहन करने वाले प्रत्येक वाहन (कंट्रिवर) के लिए रायल्टी पेड़ परिवहन पास प्रकल्प-10 में जारी करेगा।
 (चार) प्राधिकृत अधिकारी, उस मात्रा के लिए ही रायल्टी पेड़ अभिवहन पास जारी करेगा जो अनुज्ञापिधारी, भण्डारण/प्रसंस्करण स्थल पर अभिलेखों/अभिवहन पास पर लगलगा खनिज की मात्रा का सत्यापन करने के पश्चात् स्थल पर अण्डारित/प्रसंस्करित किया है।
 (पांच) अनुज्ञापिधारी, अस्थाई भण्डारण/प्रसंस्करण स्थल पर, उस खनिज के अलावा अन्य खनिज का भण्डारण/प्रसंस्करण नहीं करेगा जिसके लिए अनुज्ञापत्र जारी की गई।
 (छ) अनुज्ञापिधारी, अनुज्ञापत्र में उल्लिखित खनिज की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा भण्डारित नहीं करेगा।
 (सात) अनुज्ञापिधारी, किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को :—
 (क) अस्थाई भण्डारण स्थल जिसमें खनिज प्रसंस्करण इकाई भी समिलित है यदि कोई ही, के भवन, कार्यालय या किसी सुसंगत परिसर में प्रयोग तथा निरीक्षण के लिए अनुज्ञात करेगा;

(ख) अस्थायी भण्डारण स्थल/प्रसंस्करण स्थल पर रखे हुए खनिज/खनिजों और/उसके उत्पादों के स्टॉक के निरीक्षण, तौल या नापजोख करने के लिए अनुमति करेगा;

(ग) अनुज्ञापिताम् या उसका एजेंट सभी दस्तावेजों, रजिस्टर्स या अन्य सुसंगत अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए अथवा उनसे उद्धरण लेने या ऐसे दस्तावेजों, बुक, रजिस्टर या अभिलेख की प्रतियां तैयार करने के लिए अनुज्ञात करेगा;

(घ) किसी खनिज/अयस्क और/या उसके प्रसंस्करित उत्पादों के नमूने एकत्र करने के लिए अनुज्ञात करेगा;

(आठ) अनुज्ञापिताम्, अनुज्ञापत्र (परमिट) का विवरण अस्थायी भण्डारण/प्रसंस्करण स्थल के प्रमुख स्थल पर प्रदर्शित करेगा।

(नौ) (एक) अस्थायी भण्डारण स्थल को तार फेसिंग या इंट की दीवार से धेरा जाना होगा।

(दो) अनुज्ञापिताम्, सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा की सभी आवश्यक व्यवस्था नियमानुसार करेगा।

(तीन) कोयले के भण्डारण किये जाने की स्थिति में, अनुज्ञापिताम्, भण्डारण प्रसंस्करण स्थल पर अग्नि शमन के लिए आवश्यक उपकरण रखे जायेंगे एवं अन्य संगत व्यवस्था करेगा।

14. प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियां— अनुज्ञापिताम् द्वारा, नियम 13 या/और प्रलिप-7 में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, प्राधिकृत अधिकारी, अनुज्ञापिताम् को शर्त ला उल्लंघन दर्शाते हुए किए गए उल्लंघन के लिए क्यों न उसे दंडित किया जाए और/या क्यों न अनुज्ञापित रद्द कर दी जाए, यह निर्देश देते हुए सूचना देगा कि यह उक्त सूचना की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर उल्लंघन का उपचार करे और यदि अनुज्ञापिताम् ऐसी कालावधि के भीतर कारण बताने में असफल रहता है और/या उल्लंघन का उपचार नहीं करता है तो प्राधिकृत अधिकारी किसी जांच कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले दिना निम्नलिखित कार्यवाही कर सकेगा—

(एक) अनुज्ञापि निरस्त कर सकेगा,

(दो) अनुज्ञापि की फीस के दोगुने तक अर्थदण्ड आरोपित कर सकेगा, और/या

(तीन) सम्पूर्ण प्रतिभूति निषेप या उसके भाग को समाप्त कर सकेगा,

परन्तु ऐसी कोई भी कार्रवाई, अनुज्ञापिताम् को सुनवाई का समुचित अवसर दिये दिना नहीं की जाएगी।

15. प्रतिषेध— (1) किसी शासकीय भूमि पर अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) रिहायशी बस्ती/स्कूल/अस्पताल से 300 मीटर के भीतर अनुमति नहीं दी जावेगी।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग तथा नदी तट की सीमा के 100 मीटर के भीतर अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।

(4) खनिज भण्डारण हेतु ट्रान्समिशन लाईन के नीचे प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर अनुमति नहीं दी जायेगी।

(5) खनिज कोयले के किसी भी कोयला खदान के लीज क्षेत्र से 25 कि.मी. की सीमा के भीतर भण्डारण हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी।

16. अनुज्ञाप्ति के खो जाने/नष्ट हो जाने की प्रारम्भिकता:— यदि किसी समय नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञाप्ति खो जाती है या नष्ट हो जाती है, तो अनुज्ञाप्तिधारी इस तथ्य की लिखित में रिपोर्ट, उन परिस्थितियों का वर्णन करते हुए, जिनमें अनुज्ञाप्ति खो गई थी या नष्ट हो गई थी, सक्षम प्राधिकारी को करेगा। तथा अनुज्ञाप्ति की दूसरी प्रति के लिए लिखित में अनुरोध करेगा।

सकाम प्राधिकारी ऐसी जॉब करने के पश्चात, जैसा कि वह उचित समझे, अनुज्ञाप्ति की दूसरी प्रति जारी करेगा,, बशर्ते कि अनुज्ञाप्तिधारी रूपये एक हजार मात्र का भुगतान उसी मद में करे, जैसा कि नियम 7 के उपनियम (2) में विहित किया गया है।

अध्याय—पाच

विविध

17. छूट— राज्य सरकार, आदेश के द्वारा किसी व्यक्ति या संघर्ष को खनिजों के वैज्ञानिक जाति संथा अनुसंधान कार्य की दृष्टि से, इन नियमों के प्रावधानों की परिधि से छूट प्रदान कर सकेगी।

18. इन नियमों के अधीन किये गये कार्य का संरक्षण— (1) राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी द्वारा सदमावना से किये गये कार्य या कार्य की योजना पर कोई बाद अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
 (2) राज्य शासन के विरुद्ध किसी नुकसान के कारण या संभावित कारणों पर किसी सदमावना से किये गये या करने की योजना जो इन नियमों या उसके अधीन निर्भित किसी आदेश के पालन में की गई हो, पर कोई बाद अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

19. निरसन तथा व्यावृत्ति : इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से खनिज अभिकल्पन पास विनियम 1996 निरसित हो जाएगे

परन्तु इस प्रकार निरसित विनियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्त्वानी उपबंधों के अधीन दिया या आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायगा।

प्रकृष्ट—1

[नियम 3 (1) देखिए]

खनिज रियायत धारकों के लिए अभिवहन पास

पुस्तक क्र. पास क्र.

- खान का नाम जिला
- खनिज का नाम तथा श्रेणी
- प्रारम्भिक अनुज्ञापत्र (रिकोनेसेन्समेंट परमिट)
/ पूर्वज्ञान अनुज्ञापत्र/ खनिपट्टाधारी का नाम
- प्रेषक का नाम
- प्रेषण तारीख एवं समय (अंकों तथा शब्दों में)
- प्रेषण स्थल

क्षाया*

- खनिज की मात्रा (टन/घनमीटर में) (अंकों तथा शब्दों में)
- खनिज का विक्रय मूल्य
- वाहन (केरियर) के स्वामी का नाम
- वाहन का पंजीयन क्र.

अभिवहन पास जारी करने वाले व्यक्ति का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित

वाहन के चालक का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित

जाँचकर्ता का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित

अन्युक्तियाँ :-

- समस्त प्रविष्टियाँ किसी भी प्रकार के उपरिलेखन के बिना होनी चाहिए तथा रूप से सुवाच्य होनी चाहिए.
- दूसरी प्रति वाहक के चालक को दी जानी चाहिए और मूल प्रति अभिवहन पास पुस्तिका में रखी जानी चाहिए.
- अभिवहन पास पुस्तिका में अभिलेख, तारीख, समय एवं मात्रा का लोप तथा उपरिलेखन करना दण्डनीय होगा.
- वाहक के प्रत्येक फेरे (ट्रिप) हेतु नवीन अभिवहन पास जारी किया जाना चाहिए.
- क्षाया*— क्षाया के संबंध में खान से गंतव्य स्थान तक परिवहन मार्ग में आने वाले प्रमुख राहरों का नाम लिखा जावे ।

प्र० २

[नियम ३ (२)(एक) देखिए]

खनिज रियायत धारकों के लिए अभिवहन पास प्राप्त करने का आवेदन पत्र

- प्रारम्भिक अनुज्ञापत्र (रिकोनेसेन्स परमिट) / पूर्वक्षण अनुज्ञापत्र / खनिपट्टा धारक का नाम तथा पता
- पट्टा का विवरण : ताहसील ग्राम
खसरा क्रमांक क्षेत्र
- पट्टे की अवधि : से तक
- खनिज का नाम, जिसका परिवहन किया जाना है
- खनिज की मात्रा, जिसका परिवहन किया जाना है (टन / घनमीटर में)
- परिवहन का माध्यम
- यह कालावधि जिसमें आवेदक खनिज के परिवहन करने का इच्छुक है
रायल्टी रु. का भुगतान चालान क्र. तारीख
द्वारा किया गया.
- अभिवहन पास पुस्तिका का मूल्य रु. का भुगतान चालान क. तारीख

सहपत्र: सरल क्र. ४ तथा ९ के अनुसार

स्थान:

तारीख

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

प्रक्रम-3

(नियम 5 (सात) देखिए)

खनिज जीवं पंजी

जीवं लौकी का नाम

रारीख

सं. क्र.	क्रेता का नाम	खनिज का नाम	खनिज की मात्रा	खनिज अभिवाहन पास क.	अभिवाहन पास में सम्बन्धित	पाठन क.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्रकृति-4

[नियम 6 (1) देखिए]

अस्थायी भण्डारण / बेनिफिकेशन / प्रसंस्करण / क्रशर संयंत्र हेतु
 अनुज्ञापि प्राप्त करने तथा उसके नवीनीकरण के लिए
 आवेदन-पत्र

तारीख माह वर्ष को
 (स्थान) में प्राप्त किया

न्यायालय फीस स्टाम्प यहां चिपकाएं

प्रति,

कलेक्टर

जिला -

छत्तीसगढ़

महोदय,

मैं/हम निम्न विवरण अनुसार अस्थायी भण्डारण/
 बेनिफिकेशन/प्रसंस्करण/कोल वाशरी/लौह अयस्क/क्रशिंग यूनिट/अन्य क्रशर यूनिट
 स्थापित करने हेतु अनुज्ञापि प्राप्त करने/नवीकरण करने के लिए नियेदन करते हैं।

- स्थानिज का नाम
 2. मात्रा (एक समय में अधिकतम भण्डारित की जाने वाली मात्रा)
 3. अवधि
 4. स्थान
 5. नियमों के अधीन देय आवेदन फीस रु. की राशि वालान
 क. तारीख स्थान में जमा कर दी गई है।
 6. अपेक्षित विशिष्टियां नीचे दी गई हैं-
 (एक) आवेदक का नाम एवं पूरा पता
 (दो) क्या आवेदक व्यक्ति/प्राइवेट कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या एसोसिएशन है
 (जो लागू न हो उसे काट दें)
 (तीन) आवेदक की उपजीविका या व्यवसाय की प्रकृति

(चार) खनिज राजस्व बकाया नहीं प्रमाण—पत्र (प्रति संलग्न).

(पांच) यदि आवेदक, आवेदन—पत्र की तारीख को राज्य में कोई खनिज रियायत/अनुज्ञाप्ति धारण नहीं करता है तो उसके लिए शपथ—पत्र प्रस्तुत करें

(छ) खनिज/अयस्क या उनके उत्पाद का नाम जिनके लिए आवेदक अनुज्ञाप्ति प्राप्त करना चाहता है

(सात) उस खनिज रियायत अनुज्ञाप्ति के विवरण दर्शाते हुए शपथ—पत्र कि वह किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा आवेदक के साथ संयुक्त रूप से राज्य में घारित की जा रही है

(आठ) उस भूमि का प्रमाणित नवशा तथा नवीनतम राजस्व अभिलेख जिस पर आवेदक, खनिज/खनिजों या उनके उत्पादों का भण्डारण करने का इच्छुक है, जहाँ आवेदक भूमि का स्वामी नहीं है भू—स्वामी से सतही अधिकार या सहमति सहित शपथ पत्र प्राप्त कर लिया है

(नौ) कोई अन्य विवरण, जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहता है

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

प्रलप-5

[नियम 9 देखिए]

अस्थायी भण्डारण / बेनीफिकेशन/ प्रसंस्करण/ क्रशर संयंत्र हेतु
अनुज्ञाप्ति प्राप्त करने तथा उसके नवीनीकरण के लिए प्राप्त
आवेदन-पत्रों की पंजी

1. अनु क्र.
2. अनुज्ञाप्ति के लिए आवेदन की तारीख
3. आवेदन प्राप्त करने की तारीख
4. आवेदक का नाम तथा पूर्ण पता
5. आवेदित खनिज/ उत्पादों के नाम
6. वह कालायधि जिसके लिये अनुज्ञाप्ति प्रदान करने/
नवीकरण के लिए आवेदन किया गया
7. आवेदन पत्र फीस रु. का भुगतान चालान क्र.
तारीख द्वारा किया गया
8. आवेदन पत्र का अंतिम निपटारा आदेश क्रमांक एवं तारीख सहित
9. अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रलप-6

[नियम 9 देखिए]

अस्थायी भण्डारण / बेनीफिकेशन/ प्रसंस्करण/ क्रशर संयंत्र हेतु
अनुज्ञाप्ति तथा उसके नवीनीकरण के लिए प्राप्त
अभिस्थीकृति

स. क्र. तारीख

श्री से अस्थायी भण्डारण/ प्रसंस्करण स्थल अनुज्ञाप्ति प्रदान
करने/ नवीकरण हेतु निम्नलिखित सहपत्रों के साथ आवेदन-पत्र को प्राप्त किया
सहपत्र :—

प्राप्त करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर कार्यालय की मुद्रा
सहित

प्ररूप-7

[नियम 6 (1)देखिए]

अस्थायी भण्डारण / बैनीफिकेशन/प्रसंस्करण/क्रशिंग के लिए
अनुज्ञाप्ति की स्वीकृति

कार्यालय कलेक्टर

जिला छत्तीसगढ़

क्र. तारीख
श्री निवासी

को नीचे दर्शाये गये भण्डारण/बैनीफिकेशन स्थल में छत्तीसगढ़ खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण) का निवारण नियम, 2008 के अधीन खनिज भण्डारण अनुज्ञाप्ति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है/नवीनीकृत की जाती है ।

1. खनिज (खनिजों) / उत्पादन का नाम जिसके लिए अनुज्ञाप्ति दी जा रही है
2. भण्डारण खनिज की अधिकतम मात्रा टन (एक समय) ।
3. भण्डारण / बैनीफिकेशन/प्रसंस्करण/क्रशर संयंत्र स्थल की अवस्थिति:

सीमा का विवरण :—

पूर्व
पश्चिम
उत्तर
दक्षिण

4. भण्डारण अनुज्ञाप्ति की अवधि तारीख से तक वर्ष के लिए

5. अनुज्ञाप्ति की शर्त :—

- (1) अनुज्ञाप्तिधारी अनुबंधित खनिज के अलावा किसी भी अन्य खनिज का भंडारण/प्रसंस्करण, स्थल पर नहीं करेगा;
- (2) अनुज्ञाप्तिधारी अनुबंधित खनिज की मात्रा से अधिक का भंडारण/प्रसंस्करण भंडारण स्थल पर नहीं करेगा, यदि वह अधिक मात्रा में खनिज का भंडारण/प्रसंस्करण भण्डारण हेतु करना चाहता है तो उसे नियम 7 (3) (दो) के अनुसार अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके अनुमति प्राप्त करना होगा;

(3) अनुज्ञापिधारी प्ररूप 1 में दिये गये अभिवहन पास की मूल प्रतियां जमा कर रायलटी पेड़ परिवहन पास पुस्तिका की कीमत जमा कर प्राप्त करेगा;

(4) अनुज्ञापिधारी, वाहन चालक को अभिवहन पास की मूल प्रति के नीचे कार्बन लगाकर लिखी गई द्वितीय प्रति जारी करेगा तथा मूल प्रति पुस्तिका में अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेगा;

(5) खनिज परिवहन किये जा रहे वाहन को परिवहन के दौरान किसी भी स्थान पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रोके जाने पर वाहन चालक अभिवहन पास के सत्यापन (निरीक्षण) हेतु उपलब्ध करायेगा तथा निरीक्षण में अपेक्षित सहयोग करेगा;

(6) अनुज्ञापिधारी किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को –

- (क) रटाकयार्ड पर खनिज प्रसांस्करण इकाई, यदि कोई हो, के भवन, कार्यालय या किसी संबंधित परिसर में प्रवेश तथा निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा;
- (ख) भण्डारण स्थल पर रखे हुए खनिज/खनिज और/या उसके उत्पादों के रटाकयार्ड के सर्वेक्षण, तोलन, माप या नापजोख करने के लिए अनुज्ञात करेगा;
- (ग) अनुज्ञापिधारी या उसका एजेंट सभी दस्तावेजों, पंजियों या अन्य सुरक्षित अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए अथवा उनसे उद्धरण लेने या ऐसे दस्तावेजों, बुक, पंजी या अभिलेख की प्रतियां तैयार करने के लिए अनुज्ञात करेगा;
- (घ) किसी खनिज/खनिजों और/या उसके उत्पादों के नमूने एकत्र करेगा;

(7) अस्थायी भण्डारण स्थेल को पक्के, तार फेंसिंग या ईंट की दीवार से धेरा जाना होगा।

(8) अनुज्ञापिधारी द्वारा सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा की सभी आवश्यक व्यवस्था नियमानुसार करेगा;

(9) यायु प्रदूषण अधिनियम, 1981 के तहत अनुमति प्राप्ति उपरांत अनुज्ञापिधारी नियमों का पालन करेगा;

(10) कोयला का भंडारण करने की स्थिति में अनुज्ञापिधारी भंडारण/प्रसांस्करण स्थल पर सभी आवश्यक उपकरण की सुरक्षा तथा सभी आवश्यक व्यवस्था के लिए अग्निशामक यंत्र रखेगा;

(11) शासन द्वारा समय समय पर लगाये गये समस्त कर एवं अधिभार का मुगलान करेगा।

प्राधिकृत अधिकारी
नाम
पदनाम
कार्यालय की मुद्रा

[नियम १३ (ले) देखिए]
अस्थायी भवानारण स्थल पर रखे जाने वाले रजिस्टर का प्राकृति
(अन्य खनिज हेतु)

परमिट क्र. तारीख अवधि यां. तारीख रो तारीख तक

खनिज का नाम

1138 *John R. Koenig, Jonathan*

सं. क्र.	गाड़ / रथ	ओपनिंग र्टॉक	गाड़ में प्राप्त खनिंग की गति	प्राप्त खनिंग की गति	गाड़ में गण्डवरण रथल से हटाये गये खनिंग की गति	बलोविंग स्टॉक						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			जिस खदान धारक (गाड़न होल्डर) से खनिंग प्राप्त हुआ उसका नाम और पता	खनिंग अभियान पास का क्र. एवं दिनांक	वाहन को प्रकार एवं क्र.	गाड़ की कुल गति (347)	राहाली एवं अभियान किया गया उसका नाम एवं पता	गहन का प्रकार एवं क्र.	गाड़ की कुल गति (347)	राहाली एवं अभियान पास का क्र. एवं तारीख	गाड़ में गण्डवरण रथल से हटाये गये खनिंग की गति	(8-12)

प्रकल्प - 9 (क) (१)

[नियम 13 (दो) देखिए]

प्रसरक तथा स्थल पर रखे जाने वाले रजिस्टर का प्रलम्प
(कोयले की वाराणी हेतु)

માત્રા એવી રીતે

ट्रिनिज वा नाम : कौयला

वाराणी स्थल का नाम एवं पता

（待定）題目（九）

प्रलेप - 9 (क) (2)
[नियम 13 (दो) देखिए]

प्रसंस्करण स्थल पर रखे जाने वाले रजिस्टर का प्रस्तुप

(उपनोखताधार कोयले की प्राप्ति एवं प्रेषण का विवरण)

माह एवं वर्ष : _____

खनिज का नाम : कोयला

याशारी का नाम एवं पता :

उपभोक्ता का नाम एवं पता :

(भाजा टन में)

कोडला	आरण्डेन कोयले की प्राप्ति स्टोक (भाजा)	माह में द्वारा कोयले की मात्रा एवं देशी		कोडी/ई प्राप्ति का विवरण कोयलाधारे के नाम सहित	माह में योग्य कोयले का नाम	योग्य करने की प्रक्रिया कोयले की मात्रा एवं वाट्टु देशी		प्राप्ति स्टोक (भाजा)	वाज मात्रा (8+9)	प्रेषण मात्रा (10)	अतिम स्टोक (भाजा) (10+11)	सिलाई
		भाजा	देशी			देशी	भाजा					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आरण्डेन कोयला						दाउड़ कोयला						
						मिडिलेंग						
						विंगस्ट कोयला						
						विना यास किया हुआ आरण्डेन कोयला (भाजा)						

प्रलेप - 9 (क) (3)
[नियम 13 (दो) देखिए]

प्रसंस्करण स्थल पर रखे जाने वाले रजिस्टर का प्रस्तुप

(रिजेक्ट कोयले का विवरण)

माह एवं वर्ष : _____

खनिज का नाम कोयला

याशारी का नाम एवं पता :

(भाजा टन में)

क्र. क्र.	प्राप्ति स्टोक	माह में उत्पादन की मात्रा	योग्य (2+3)	माह में प्रीप्रित कोयले की मात्रा (पार्टीधार प्रेषण का विवरण संलग्न करें)		अतिम स्टोक (4-6)
				पार्टी का नाम	मात्रा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्रलेप-४ (ख) (१)
 [नियम १३ (दो) देखिए]

प्रसंस्करण स्थल पर रखे जाने वाले रजिस्टर का प्राप्तप
 (लौह अयस्क की प्राप्ति कशिंग एवं प्रेषण का विवरण)

माह एवं वर्ष :

खनिज का नाम : लौह अयस्क

कशर का नाम एवं पता :

(मात्रा टन-वे)

संख.	आस्तोएम लौह अयस्क ग्री साइज/ प्रकार	प्रारंभिक रटोंक	माह में प्राप्त खनिज	दोग (३+४)	क्रम किये जाने वाले प्रकारों लौह अयस्क की वाह्य मात्रा	विना कश किये वाये तारामी	प्रारंभिक सटीक	योग	क्रम किये जाने वाले प्रकारों लौह अयस्क की प्रेषण मात्रा								अंतिम रटीक	टिप्पणी				
									संकेत द्वारा				रेज वाह्य				योग					
									लौह साइज	फाइन्ना	हाथ साइज	फाइन्ना	लौह साइज	फाइन्ना	हाथ साइज	फाइन्ना	लौह साइज (१४-१६)	फाइन्ना (१५-१७)				
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)	(१५)	(१६)	(१७)	(१८)	(१९)	(२०)	(२१)	(२२)	
1.																						
2.																						
3.																						

प्रकल्प-९ (ख) (२)

[नियम 13 (दो) देखिए]

प्रसंस्करण स्थल पर रखे जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप
(उपभोक्तावार लौह अयस्क की प्राप्ति कशिंग एवं प्रेषण का विवरण)

माह एवं वर्ष :

खनिज का नाम : लौह अयस्क

क्रशर का नाम एवं पता :

उपभोक्ता का नाम एवं पता :

... (सात्रा टन में)

प्रारूप-9 (ग)

[नियम 14 (दो) देखिए]

प्रसंस्करण इकाई स्थल/क्रशर स्थल पर रखे जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप
(अन्य खनिज का विवरण)

अनुमति क्रमांक तारीख अवधि दर्वा तारीख से तारीख तक

खनिज का नाम

प्रसंस्करण स्थल/क्रशर स्थल का नाम एवं पता

(मात्रा उन में

क्र.	दर्वा/माह	ओपनिंग स्टॉक	माह में प्राप्त खनिज				प्राप्त खनिज की कुल मात्रा(3+7)	माह में परिव्याप्ति/क्रिंग वास्थात प्राप्त खनिज की कुल मात्रा	माह में व्यापकता संग्रह ने हटाये गये खनिज की मात्रा				वर्लोजिंग स्टॉक (8-13)	रिमार्ट
			जिस पट्टेदार से खनिज प्राप्त हुआ उसका नाम एवं पता	आमिवहन पास का क्र. एवं तारीख	माह का दर्वा एवं प्रकार	मात्रा			लिस्ट को खनिज विक्रय किया गया उसका नाम एवं पता	लयस्टी गठ अधिवहन पास का क्र. एवं तारीख	माहन का दर्वा एवं प्रकार	मात्रा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

प्रकृति-10

[नियम 13 (तीन) देखिए]

रायल्टी पेंड अभियहन पास

पुस्तक क्र.

पास क्र.

1. अनुज्ञापितारी का नाम एवं पता
2. अनुज्ञाति की विविधियाँ
3. खनिज (खनिजों) / उत्पादकों का नाम
4. भेजने वाले का नाम
5. भण्डारण स्थल से प्रेषण की तारीख तथा समय
(अनुज्ञाति में उल्लिखित अनुसार) (अंकों तथा शब्दों में)
6. प्रेषण का गंतव्य स्थान
7. गंतव्य स्थल पहुंचने के पूर्व आने वाले मुख्य शहरों का नाम (1) (2) (3)
8. खनिज की मात्रा (टन/घनमीटर में) (अंकों तथा शब्दों में)
9. खनिज का विक्रय मूल्य
10. वाहन (कंस्ट्रिक्शन) के स्वामी का नाम
वाहन (कंस्ट्रिक्शन) कमाक

अभियहन पास जारी
करने वाले व्यक्ति का
नाम तथा हस्ताक्षर
दिनांक सहित

वाहन के चालक का
नाम तथा हस्ताक्षर
दिनांक सहित

जौचकर्ता का नाम तथा
हस्ताक्षर दिनांक सहित

अन्युवितयाँ -

1. समस्त प्रविष्टियाँ किसी भी प्रकार के उपरिलेखन के बिना होनी चाहिए तथा स्पष्ट रूप से सुनाया होनी चाहिए.
2. दूसरी प्रति वाहक के चालक को दी जानी चाहिए और मूल प्रति अभियहन पास पुस्तिका में रखी जानी चाहिए.
3. अभियहन पास पुस्तिका में अभिलेख, दिनांक, समय एवं मात्रा का लोप तथा उपरिलेखन करना दण्डनीय होगा.
4. गंतव्य स्थान के लिए एक से अधिक मार्ग होने की स्थिति में गंतव्य स्थल के पूर्व पढ़ने वाले प्रमुख शहरों के नाम लिखा जाना आवश्यक है. निर्धारित मार्ग के अलावा किया गया परिवहन अवैध खनिज परिवहन के श्रेणी में आयेगा.
5. वाहक के प्रत्येक फेरे (ट्रिप) हेतु नवीन अभियहन पास जारी किया जाना चाहिए.

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2009

क्रमांक एफ 7-9/2003/12.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खाना (3) के अनुसारण में इस विभाग की अधिकाराना क्रमांक एफ 7-9/2003/12 दिनांक 27 जुलाई, 2009 का अधिकार राज्यपाल के प्रधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा जावेहानुसार,
चौ. के. मिश्रा, उप-सचिव,

Raipur, the 27th July 2009

No. F 7-9/2003/12.— :: In exercise of the powers conferred by Section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER-1

PRELIMINARY

1. **Short title, extent and commencement.**— (1) This may be called the Chhattisgarh Minerals (Mining, Transportation and Storage) Rules, 2009;
 (2) It extends to the whole of Chhattisgarh;
 (3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the "Official Gazette"
2. **Definition.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
 (a) "Act" means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Central Act No. 67 of 1957);
 (b) "Authorized Officers" means officer to whom State Government has empowered under these rules to act upon;
 (c) "Check Post" means a check post established on the road by Mineral Resources Department for the verification of the quantity of minerals being transported and the transit documents in any vehicle;
 (d) "Collector" and "Additional Collector" of senior Indian Administrative Services scale have the same meaning respectively assigned to them in the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);
 (e) "Director" means Director of Geology and Mining, Chhattisgarh appointed by the State Government;

- (f) "Government" means the Mineral Resources Department of State Government of Chhattisgarh;
- (g) "Form" means the form appended to these Rule;
- (h) "In-charge of Check Post" means the officer in-charge of any check post appointed by the Collector of the concerned district;
- (i) "Lease" means mining lease and quarry lease granted for the purpose of exploitation of minerals;
- (j) "Mineral" shall have the same meaning, as assigned in the Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957;
- (k) "Mineral Concession" means Reconnaissance Permit, Prospecting Licence and Mining Lease under the Act and Rules;
- (l) "Mining Officer" means Deputy Director (Mineral Administration)/ Mining Officer/ Assistant Mining Officer posted in the district as Officer In-charge of mining section;
- (m) "Owner of Mines" covers Lessee or any manager or any person authorised by the Lessee in writing to work on his behalf;
- (n) "Rules" means rules framed under section 23(C) of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (Central Act No.67 of 1957);
- (o) "Scientific Test" means any chemical analysis of minerals conducted in the laboratory of Directorate of Geology and Mining or any other laboratories of Government of India;
- (p) "Section" means a section of the Act;
- (q) "State" means the State of Chhattisgarh;
- (r) "Storage" means Temporary Storage of mineral at any place during transportation to the final destination after removing it from the mining lease area (lease area);

- (s) "Storage Permit" means the permit issued under these rules by the Collector to any person/ company for the temporary storage/beneficiation/crushing of any mineral in the territorial Jurisdiction of the concerned district;
- (t) "Transit Pass" means a pass issued by the authorized officers of Mineral Resources Department, Government of Chhattisgarh for lawful transportation of minerals;
- (u) "Vehicle" means any mode by which mineral/minerals or its products are transported from the place of raising or from one place to another, excluding railway wagons, aerial ropeway, conveyor belt;
- (v) "Weigh Bridge" means weighment machine established to measure the quantity of the minerals being transported;
- (w) All other words and expressions used herein but not defined in the Act, shall have the same meaning as respectively assigned to them under the Act.

2. Prohibition.- (1) No person shall transport carry or cause to be transported any mineral/ore or/and its beneficiated products by any vehicle or otherwise from the place of raising/storage/ beneficiation or from one place to another place without having a valid Transit Pass issued under these rules;

Provided that no such Transit Pass shall be required in case of any mineral/minerals or its beneficiated products being transported directly from the lease area by means of rail or aerial ropeway or conveyor belt which is accompanied by an bill, invoice issued by the lessee mentioning the date and time, quantity of mineral, destination and name of the party to whom it is being supplied/ dispatched or any other lawful documents, which prove the legality of the mineral transported;

(2) No person shall transport any mineral/(s) outside the lease area or process any mineral/(s) other than final destination or storage for any other purposes

beneficiate/ establish a crushing plant without holding a valid "storage permit" granted under these rules.

CHAPTER- II

ARRANGEMENT OF TRANSIT PASS FOR THE TRANSPORTATION OF MINERALS

3. Transportation of Minerals and it's beneficiated Products. - (1) All the minerals or it's ore excavated in any lease area sanctioned under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and rules framed under shall only be transported (except transported directly by rail, ropeway or by conveyor belt) along with the valid transit passes issued under these rules in Form -1. The minerals or its ore shall also be transported to the railway siding or beneficiation plant installed or established out side the mining lease area with the valid transit pass, but the as special case Director, after distinguished reasons may exemption the restriction, so imposed.

The mineral transported directly by rail, rope way or conveyor belt should accompanied by a bill, invoice issued by the lessee mentioning the date and time, quantity and grade of mineral, destination, name of party to whom it is being supplied, dispatch, or any other lawful documents which prove the legality of mineral so transported.

(2) (i) For transportation of any mineral or it's beneficiated products from the lease area, the holder of mining lease shall make an application in Form-2 to the District Collector, along with the original treasury challan of the cost of the Transit Pass Book and the royalty due of the mineral to be transported as per the maximum requirement for the next three months, the transit passes will be obtained.

(ii) The cost of transit pass book and the roya'ty due of the mineral transported shall be deposited in the same manner, as prescribed in rule:

(iii) Every lease holder or permit holder shall issue duplicate copy of the Transit Pass generated by using carbon copy to the driver of the vehicle carrying mineral from lease site/ temporary storage site and keep original copy in transit book safely;

(iv) The Transit Passes for mineral concession shall be printed and issued as per the procedure decided by the Director Geology and Mining time to time.

(3) The following officers are authorised to check and inspect and to take action under the Act and rules of the vehicle carrying the mineral and its beneficiated products:-

SCHEDULE

S.No.	Officers	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
(i)	Director, Geology and Mining.	Whole State of Chhattisgarh
(ii)	Additional Director/ Joint Director (Mineral Administration), Directorate of Geology and Mining.	Whole State of Chhattisgarh
(iii)	Collector/Additional Collector/ Sub Divisional Officer (Revenue).	Within their respective/ jurisdiction.
(iv)	Flying Squad of Directorate of Geology and Mining.	Whole State of Chhattisgarh
(v)	Deputy Director (Mineral Administration)/ Mining Officer/ In-charge Assistant Mining Officer	Within the district.

(vi)	Assistant Mining Officer/ Mining Inspector.	Within their jurisdiction of work.
(vii)	In-charge of Check Post.	On the concerned check post.
(viii)	Any officer of the Directorate of Geology and Mining.	Authorised by the Director in writing specially for a particular area.

(4) (i) The owner or the Driver of the vehicle carrying the mineral is responsible for the strict compliance of these instructions and present the mineral transit pass and other relevant document to the authorised officer on demand for inspection and co-operate him in inspection.

(ii) The driver of the vehicle carrying the mineral shall present the relevant documents related to mineral transportation to the authorised officer on demand during the transportation and co-operate him in inspection.

(4) **Penalties:-** Whenever any vehicle transporting the mineral without the lawful transit pass it is treated as an offence under section 21 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and the driver of the vehicle and the owner of the vehicle as well, will be liable for punishment under the penalty clauses of the said Act and rules.

CHAPTER - III

ESTABLISHMENT OF CHECK POSTS AND ARRANGEMENTS FOR THE INSPECTION OF MINERAL IN TRANSIT.

5. Establishment of check posts and inspection of minerals in transit. - (1). The Director may setup check post(s) with or without weighbridge at any place within the State to check the validity of transit passes and the legality of the grade, quantity of minerals and its beneficiated products to prevent transportation and storage of mineral/ ores and its beneficiated products without lawful permit.

(2) As per the instruction issued by Director time to time the inspections register and other document, kept and maintain at check the posts.

(3) The driver of the vehicle carrying the mineral shall stop the vehicle at check post and show all-relevant document and paper available with him for inspection and co-operate in inspection.

(4) The quantity of minerals mentioned in transit pass shall be checked at the weighbridge established at check post or any other authorized weighbridge.

(5) The lease holder or permit holder or mineral transporter shall pay the amount so fixed for the weighment at the departmental or the private weighbridge. The payment receipt will be issued for the weighment at the government weighbridge.

(6) At the check post where there is no weighbridge near by, the quantity of mineral being transported shall be measured in cubic meter & then converted in to tonnes according to the prescribe formula.

(7) The in-charge of check post, after checking the transit passes quantity and grade of mineral, shall enter the details in the register according the Form-3 and put the prescribed seal as shown below and sign the transit pass.

FORM

Name of check post	District
Date of checking	Time
St.No. of the entry in inspection register	
Page No.	Signature of inspecting person

(8) If the in-charge of check post or any other authorised officer has reasons to believe that the mineral so transported, is not covered by the transit pass available with the vehicle or the mineral is transported without a valid transit pass, or the mineral is being transported other than the destination mentioned in transit pass, the authorised officer after such verification as he/she feels necessary shall seize the vehicle carrying the mineral, tools, equipment or any other things used in transportation of mineral and also the mineral so transported. The seized mineral, vehicle, tools, equipment or other things shall be disposed off as per the provisions of Act and Rules.

CHAPTER - IV

ISSUE OF PERMIT AND ITS RENEWAL FOR THE TEMPORARY STORAGE/BENEFICIATION/CRUSHING OF MINERAL

6. Application permit and its renewal for temporary storage/ beneficiation/ crushing of mineral:- (1) If any mineral mentioned in part A and part C of first schedule of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Central Act No.67 of 1957) or schedule-I & schedule-II of Chhattisgarh Minor Mineral Rule 1996 be temporally stored, beneficiated, crushed out side the lease area, the permission for such storage/ beneficiation plant/ crushing plant be specified in Form-7 by the concern of the District Collector.
- (2) The application permit and its renewal for temporary storage/ beneficiation/ crushing shall be made to the Collector of the concern district in Form-4 with the copy of duly paid challan of required fees (non refundable) in the prescribed Account head.
- (3) The application fees along with the application form shall be submitted as per detail below:
 - (i) For storage capacity up to 250 tonne at a time the storage fee Rs. 20,000/-;
 - (ii) In additional to above for each 100 tonne or its part Rs. 2,000/-.

(4) Following documents shall be accompanied with the application:-

- (i) Certified copy of the details and the map of the area proposed to be used as temporary storage/ beneficiation plant/ crushing plant along with the consent letter of the owner of the land;
- (ii) No objection certificate from the National Highway Authority, if the proposed/ temporary storage/ beneficiation plant/ crushing plant is near by the National Highway;
- (iii) No objection certificate under (The Air of Pollution) (Prevention and Control) Act, 1981 (Central Act No. 14 of 1987), if necessary;
- (iv) If the applicant is a lease holder mining dues clearance certificate from the in-charge mining officer of the district concern;
- (v) The permission needed under any other Acts, shall be acquired as per the rules and accordingly presented.

7. Authority competent to receive the application for storage permit,- Mining Officer of the concerned district shall be the competent authority to receive the application. The receiving date and time shall be marked on the application.

8. Register of application for storage permit. - Mining officer of the district concern shall maintain a register in Form-5 and make necessary entries therein, and receipt of the application shall be given in Form-6.

9. Disposal of application for storage permit or its renewal.- (1) The competent authority after making such inquires as he/ she may deem fit, grant or renewable the storage permit and shall issue such permit in Form-7 or refuse to grant or renewable the permit.

Provided that the competent authority shall not refuse to grant or renew the permit for the whole or part of the area applied without giving an opportunity of

hearing to the applicant and without recording the reason for refusal in writing and communicating the reasons for refusal to the applicant:

Provided that if the application submitted by the applicant is without accompanying proper document, receipt challan of the fee, shall be rejected directly and it does not require inform the applicant.

(2) If a temporary permit holder wishes to continue the storage for further, period, he shall submit an application 90 days prior to before the expiry along with the fee deposited in such a manner as shown in sub-rule (3) of rule 6 of these rule in Form-4 and submit all the relevant document which were submitted at the time of original application as per sub-rule (4) of rule 6 of these rule. If the application for such renewal is not disposed off within the prescribed time period, the period of such permit shall be deemed to have been extended by a further period for which the permit was originally granted till the competent authority passes an order thereon.

(3) The competent authority may at his/ her own discretion may refuse to grant or renew the permit to such person who is convicted of any offence under the Act or Rules made there under.

10. Security deposit. - Due observance of the terms and conditions of the permit the applicant shall deposit Rs. 50,000/- for storage permit up to 250 tons at a time and for extra storage Rs. 1,00,000/- as security deposit within 7 (seven) days from the date of intimation of grant or renewal of permit by the competent authority in the same manner as prescribed in sub-rule (2) of rule 7. No interest shall be liable for security deposit.

11. Period for which permit shall be granted or renewed. - The maximum period for grant of a permit shall not exceed three years.

12. Status of the sanctioned permit in case of death of the holder. - Where the permit dies, the permit holder shall be transferred to the equal heir/(s) of the holder after the submission of the application along with a fee of Rs. 1,000/- deposited by challan in prescribed Account head.

13. Conditions of the permit. - Every permit granted under these rules shall, in addition to any other conditions that may be specified therein be subjected to the following conditions, namely : -

- (i) The permit holder, from the date of sanction, for every calendar year shall deposit the annual fee of Rs. 10,000/- in the same manner as prescribed in sub-rule(2) of Rule 7.
- (ii) The permit holder shall keep accurate and faithful accounts of storage in Form-8 and at processing unit in Form-9 (a) (1), (2), (3), Form-9 (b) (1), (2) or Form-9 (c) as the case may be showing the details of quantity and other particulars of the mineral/ ore and/ or its products received and dispatch from the temporary storage/ processing unit and the same shall be present to the competent officer on demand during inspection.
- (iii) The permit holder shall issue royalty paid transit pass in Form-10 for every vehicle (carrier) transporting any mineral/ ore or its products from the temporary storage / processing site.
- (iv) Authorized officer shall issue Royalty Paid transit pass only for that quantity which the permit holder has stored/ processed at the site after the verification of the quantity of mineral record/ transit passes available at storage/ processing site.
- (v) The permit holder shall not store/process any mineral other than the mineral for which permit has been issued, at the temporary storage/ processing site.
- (vi) Permit holder shall not store more than the permissible quantity mentioned in the permit.

(vii) The permit holder shall allow any authorised officer to: -

- enter and inspect the temporary storage site including mineral processing unit, if any, its building, office or any relevant premises;
- allow for stock inspection, weighing or measurement of the stocks of mineral/ minerals and/ or its products lying at the temporary storage site;
- allow to examine any documents, books, registers or relevant record in the possession of the permit holder or his agent and to take extracts from or make copies of such documents, books, registers or record;
- allow to collect samples of any mineral ore and/ or its products.

(viii) The permit holder shall display the description of the permit so granted at the main place of temporary storage/ process site.

(ix)

- the fencing of temporary storage site shall be done either through wire or brick wall.
- permit holder shall make necessary arrangement for first aid and safety according to the rule.
- In the case of storage of coal, permit holder shall keep necessary equipment at the storage/ processing site for protection and make necessary arrangement for prevention of fire.

14. **Power of the authorised officer.**- In case of breach of any conditions specified in Rule (13) or / and Form - 7 by the permit holder, the authorised officer shall issue a notice in writing to the permit holder specifying the breach of condition and asking him/ her to show cause why he/ she should not be penalized and/ or why the permit shall not be cancelled for the breach committed, directing him/ her to remedy the breach within fifteen days from the date of issue of said notice and if the permit holder fails to submit proper

cause and/ or if the breach is not remedied within such period, the authorised officer, without prejudice to any other action may take following action :-

- (i) cancel the permit,
- (ii) impose fine up to two times of the fees of the permit and/ or;
- (iii) forfeit the whole or part of the security deposit.

Provided that no such ~~action~~ shall be taken without giving an opportunity of being heard to the permit holder.

15. Prohibition. -(1) Permit shall not be issued on any government land.

- (2) Permit shall not be issued within the limit of 300 meters from habitation area/ school/ hospital.
- (3) Permit shall not be issued within the 100 meters limit of the National, State Highway and the river banks.
- (4) Permit shall not be issued for mineral storage within the restricted area of the transmission line.
- (5) Permit shall not be issued for the coal storage within the limit of 25 km of the lease of the coal mines.

16. Status of Permit in case of lost/ destroy. - If any time the permit granted under these rules is lost or destroyed, the permit holder shall forthwith report the fact in writing to the competent authority narrating the circumstances in which the permit was lost or destroyed and shall request in writing for a duplicate copy of the permit.

The competent authority after making such inquiries, as he/ she may deem fit, issue a duplicate permit provided the permit holder pay a sum of Rupees One thousand only in the same manner, as prescribe in sub rule (2) of rule 7.

CHAPTER-V

MISCELLANEOUS

17. **Exemption.** - The State Government may by an order, exempt any person or class of persons from the purview of any of the provision(s) of these rules for the purpose of scientific test and research work.
18. **Protection of Action Taken Under these rules.** - (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any officer of the government for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of these rules.
 (2) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the government for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of these rules or any order made there under.
19. **Repeal Savings.** - The Mineral Transit Pass Regulation, 1966 shall stand repealed on coming in to force of these rules.

Provided that any order made or action taken under these Regulations so repealed, shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. MISHRA, Deputy Secretary.

FORM - 1
 [See Rule 3 (1)]

TRANSIT PASS FOR MINERAL CONCESSION HOLDERS

Book No. Pass No.

1. Name of the mine.....District.....
2. Name of the Mineral and its grade
3. Name of the Reconnaissance Permit/ Prospecting Licence/ Mining Lease holder
4. Name of the consignor
5. Date and time of dispatch (in figures and words)
6. Destination of dispatch
7. via*
8. Quantity of Mineral(in tonne/in cubic meter). (in figures and words)
9. Sale value of the Mineral
10. Name of owner of the carrier
11. Registration No. of Carrier

Name and Signature of the
Person issuing the transit
pass with date

Name and Signature of the
carrier driver with date

Name and Signature of the
checking Staff with date

Remarks:

1. All entries should be without any overwriting and should be clearly readable.
2. Duplicate copy should be handed over to the Driver of the Carrier and Original copy be retained in the transit passbook.
3. Omission to record date, time and quantity or any overwriting in the transit passbook shall be punishable.
4. Fresh transit pass should be issued to the Carrier for each trip.
5. Via* - Name the major cities via mineral is being transported from mine to final destination.

FORM - 2

[See Rule 3(2) (i)]

APPLICATION FOR ISSUE OF TRANSIT PASS FOR THE MINERAL CONCESSION HOLDERS

1. Name and Address of Reconnaissance Permit/ Prospecting Licence/ Mining Lease holder
2. Particulars of Lease : Taluk Village
Khasta number area
3. Period of Lease from to
4. Name of mineral to be transported
5. Quantity of mineral to be transported (in tonne/in cubic meter)
6. Mode of transport
7. Period within which the applicant desires to transport the mineral
8. Royalty of Rs. paid vide challan no. date
9. Cost of Transit Pass Book Rs. paid vide challan no. date

Enclosure: As per serial no 8 and 9.

Place:

Date:

Signature
Name of the Applicant

FORM - 3

[See Rule 5 (vii)]

CHECK POST REGISTER

Name of the Check post

Date

S.No.	Name of Purchaser	Name of Mineral	Quantity of Mineral	Pit pass No.	Time mentioned in Pit pass	Vehicle No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

FORM - 4

[See Rule 6 (1)]

APPLICATION FOR GRANT OR RENEWAL OF PERMIT FOR TEMPORARY
STORAGE/ BENEFICIATION/ PROCESSING / CRUSHING PLANT

Received at (place) on the day of
 month year

Affix court fee stamp here.

To,

The Collector
District -
Chhattisgarh

Sir,

I/We request for the grant/renewal of temporary storage permit/beneficiation/processing/coal washery/ iron ore crushing unit/ other crushing unit.

1. Name of Minerals
2. Quantity (Maximum capacity to store at a time)
3. Period
4. Place
5. A sum of Rs. as application fee payable under these rules has been deposited vide challan No. dated at place
6. The required particulars are given below:-
 - (i) Name of the applicant with complete address.....
 - (ii) Is the applicant is an Individual/ Private Company/ Public Company/ Firm or Association (strike off whichever is not applicable).....
 - (iii) Profession or nature of business of applicant
 - (iv) No Mining Dues Certificate (copy attached)

- (v) If on the date of application, the applicant does not hold any mineral concession/ licence in the state furnish an affidavit for the same.....
- (vi) Mineral/Ore or its products, for which the applicant intend to, hold a permit.....
- (vii) An affidavit showing details of mineral concession licence held or being held in the State by any other person/ persons jointly with the applicant.....
- (viii) Enclose the certified copy of the map and latest revenue record of the land intended to be used for storing mineral/ minerals or its products. Where the applicant has not owned the land, an affidavit to the effect that he/she has obtained the surface right or the consent of the owner
- (ix) Any other details that applicant desires to submit.....

Signature of the Applicant

Name:

Address:

FORM - 5

[See Rule 9]

REGISTER OF APPLICATION AND RENEWAL FOR TEMPORARY STORAGE/
BENEFICIATION/ PROCESSING/ CRUSHING PERMIT

1. Serial No.
2. Date of application of permit.
3. Date of receipt of application.
4. Name of the applicant with full address.
5. Name of the mineral/product applied for.
6. Period for which grant/renewal of permit is applied.
7. Application fee of Rs., paid vide challan No.
date.
8. Final disposal of the application with number and date of the order.
9. Signature of the Officer.

FORM - 6

[See Rule 9]

ACKNOWLEDGEMENT FOR GRANT OR RENEWAL OF TEMPORARY
STORAGE/ BENEFICIATION / PROCESSING/ CRUSHING PLANT PERMIT

S.No. Date.

Received the application for the grant/renewal of temporary storage/ processing site permit
with following enclosures from Shri., on.

Enclosures :

Signature of receiving
Officer with seal of office

FORM - 7

[See Rule 6(1)]

GRANT OF PERMIT FOR TEMPORARY STORAGE/ BENEFICIATION/
PROCESSING/ CRUSHING

OFFICE OF THE COLLECTOR

DISTRICT - CHHATTISGARH

No. Date

Mineral permit is hereby granted/ renewed as per the condition given below under the Chhattisgarh Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2008 in favour of Shri resident of for storage/beneficiation place indicated below,

1. Mineral (s)/ Products name for which permit is being given
2. Maximum quantity of stored mineral tones (at a time).
3. Location of storage/beneficiation/processing/crushing plant:

Description of the boundary: -

East:

West:

North:

South:

4. Period of the storage permit, from date to for years.

5. Condition of the permit: -

- (1) The permit holder shall not store/ process any mineral other than the mineral for which permit has been issued at the site.
- (2) The permit holder shall not store/ process higher quantity for which permit is being given, if he wishes to store/ process higher quantity , he has to pay the required fees mentioned in rule 7(3)(Two) and take permission for storage.

- (3) The permit holder shall deposit the original copy of Pit pass mentioned in Form-I and issue the Royalty paid pit pass by submitting the price of the book.
- (4) The permit holder shall issue the carbon copy of the pit pass to the driver of the vehicle and keep original copy for record.
- (5) During the transportation of the mineral, driver of the vehicle shall store the vehicle and co-operate with Authorised officer for verification of transit.
- (6) The permit holder shall allow any authorised officer to: -
 - (a) enter and inspect the stockyard including mineral processing unit, if any, building, office or any relevant premises;
 - (b) survey, weigh, measure or take measurements of the stocks of mineral/minerals and/ or its products lying at the stockyard;
 - (c) examine any documents, books, registers or relevant record in the possession of the permit holder or any other person having the control thereof or connected therewith and take extracts from or make copies of such documents, books, registers or record;
 - (d) collect samples of any mineral/ minerals and/ or its products.
- (7) the fencing of temporary storage site shall be done either through wire or brick wall.
- (8) permit holder shall make necessary arrangement for first aid and safety according to the rule.
- (9) after the permission of the Air pollution Act, 1981, permit holder shall follow the rule.
- (10) for storage of coal, permit holder shall keep necessary equipment in the storage/ processing site for protection and make necessary arrangement for prevention of fire.
- (11) shall pay all the taxes and extra charges being imposed by the government time to time.

Authority Officer
 Name
 Designation
 Seal of Office

FORM - 8

[See Rule 13 (ii)]

PROFORMA OF THE REGISTER AT TEMPORARY STORAGE SITE
(For other minerals)

Permit No. date period year, from date to date

Name of Minerals

Name & Address of Storage place

(Quantity in tonnes)

Sr. No	Year/ month	Opening stock	Mineral received during the month				Total Qty of minerals received (3+7)
			Name and address of the mine holder from whom the mineral received	No. and date of transit pass	No. and type of vehicle	Quantity	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Quantity of mineral removed from the place of storage during the month				Closing balance (8-12)
Name and address of the party to whom the mineral is sold	No. and date of royalty paid transit pass	No. and type of vehicle	Quantity	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

FORM - 9 (a) (1)

[See Rule 13 (ii)]

PROFORMA OF THE REGISTER AT PROCESSING UNIT
(For coal washery)

Month & Year: _____

Name of Mineral: Coal

Name of Washry and Address:

(Quantity in Tonnes)

FORM - 9(a)(2)

[See Rule 13(ii)]

PROFORMA OF THE REGISTER AT PROCESSING UNIT

(Consumer wise Coal Received and Dispatched Details)

Month and Year :

Name of Mineral : Coal

Name of Washry and Address:

Name of Consumer and Address:

Coal	Opening Balance of ROM coal (Qty)	Quantity & Grade of Coal Received in the month		Details of DO/ E-auction with Colliery Name	Total coal washed during month	Output category and quantity of coal after washing		Opening Balance (Qty)	Total Qty (g+9)	Dispatched Quantity	Closing balance (Qty) (10-11)	Remarks
		Qty	Grade			Category	Qty					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
ROM coal						Washed coal						
						Middling						
						Reject coal						
						Unwashed ROM coal (Qty)						

FORM - 9(a)(3)

[See Rule 13(ii)]

PROFORMA OF THE REGISTER AT PROCESSING UNIT

(Details of Reject Coal)

Month and Year :

Name of Mineral: Coal

Name of Washry and Address:

(Quantity in Tonne)

St. No.	Opening Balance	Produced Quantity in the month	Total (2+3)	Dispatch during month (party wise details of dispatch be enclosed)		Closing balance (4-6)
				Name of Party	Qty	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

FORM - 9 (b) (1)

[See Rule 13(i)]

PROFORMA OF THE REGISTER AT PROCESSING UNIT

(Details of Iron Ore Received, Crushed & Dispatched)

Month and Year: _____

Name of Mineral: Iron Ore

Name of Crusher and Address: _____

(Quantity in Tonne)

FORM - 9 (b) (2)

[See Rule 13 (ii)]

PROFORMA OF THE REGISTER AT PROCESSING UNIT

(Consumer wise Details of Iron Ore Received, Crushed & Dispatched)

Month and Year:

Name of Mineral: Iron Ore

Name of Crusher and Address:

Name of the Consumer and Address

(Quantity in Tonne)

S. No	ROM Iron Ore Size / Type	Opening Balance	Received Qty and grade during month		Details of DO/RR	Output quantity of Iron Ore after Crushing		Uncrushed ROM Iron Ore (Qty)	Opening Balance	
			Qty	Grade		Lump Size	Fines		Lump Size	Fines
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1-										
2-										
3-										

Total (Qty)		Dispatched quantity of Iron ore after crushing from the crusher		Closing Balance (Qty)		Remarks
Lump. Size (8+11)	Fines (9+12)	Lump. Size	Fines	Lump. Size (14-16)	Fines (15-17)	
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

FORM - 9 (c)

[See Rule 14 (ii)]

REGISTER TO BE MAINTAINED AT THE CRUSHING/
PROCESSING UNIT SITE

(For Other Minerals)

Permit No. date period year from date to date

Name of Minerals

Name and Address of Processing unit

(Quantity in tonnes)

Sr. No.	Year/ month	Opening stock	Mineral received during month				Total Qty of minerals received (3+7)	Total Qty of mineral available after beneficiation/ crushing during the month
			Name and address of the mine holder from whom the mineral received	No. and date of transit pass	No. and type of vehicle	Qty		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Quantity of mineral removed from the beneficiation plant during the month				Closing balance (8-13)	Remarks
Name and address of the party to whom the mineral is sold	No. and date of royalty paid transit pass	No. and type of vehicle	Quantity		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

FORM - 10

[See Rule 13 (iii)]

ROYALTY PAID TRANSIT PASS

Book No. Pass No.

1. Name of the Address of permit holder
2. Particulars of the permit
3. Name of Mineral(s)/ Products
4. Name of consignor
5. Date and time of dispatch from place of storage (as mentioned in permit)
6. Destination of dispatch
7. Name of main cities found in rule of destination (1) (2)
8. (3) (4)
9. Quantity of mineral (in tonne/ cubic meter). (in figures and words)
10. Sale value of Mineral

Carrier No.

Name and Signature of the Person issuing the transit pass with date

Remarks:

Name and Signature of the carrier driver with date

Name and Signature of the checking Staff with date

1. All entries should be without any overwriting and should be clearly readable.
2. Duplicate copy should be handed over to the Driver of the Carrier and Original copy be retained in the transit passbook.
3. Omission to record date, time and quantity or any overwriting in the transit passbook shall be punishable.
4. If number of route is more than one to reach to the final destination during transportation of mineral, permit holder has to write name of the major cities which found at the route of their destination. Transportation of mineral by other route as mentioned in pass shall come under the category of illegal transportation
5. Fresh transit pass should be issued to the Carrier for each trip.